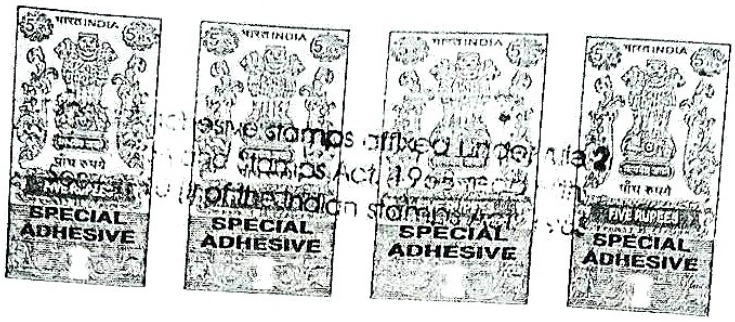

समझौता प्रपत्र

आर्य समाज व संस्कृत विभाग
दयानन्द महाविद्यालय, हिसार

एवं

दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार

समझौता –

1. आर्य समाज व संस्कृत विभाग, दयानन्द महाविद्यालय, हिसार एवं दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार के बीच दिनांक 20/5/2022 को समझौता दोनों संस्थाओं के प्राचार्यों तथा प्रभारी आर्य समाज की उपस्थिति में हुआ।

प्रस्तावना –

1. समझौते के अनुबंध के रूप में आर्य समाज व संस्कृत विभाग, दयानन्द महाविद्यालय, हिसार व ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार अपने शिक्षकगणों के माध्यम से अध्यापन के क्षेत्र में ऐसे विषय चुनेगा जो स्वामी दयानन्द जी के जीवन व चिंतन से जुड़े हो।
2. दोनों ही संस्थाएं आर्य समाज व वेदों से सम्बन्धित विषयों पर लेख लिखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे।
3. दोनों ही संस्थाएं मिलकर ऐसी गतिविधियों का आयोजन करेंगी जिससे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न हो व नैतिक गुणों का विकास हो।

समझौते के आयाम –

1. यह समझौता आर्य समाज व संस्कृत विभाग, दयानन्द महाविद्यालय, हिसार एवं दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय हिसार के बीच आपसी सहमति से तैयार हुआ है। विभिन्न पक्षों पर विचार–विमर्श करके आपसी समन्वय र कार्य करने को स्वीकृति दी गई तथा यह दोनों संस्थाओं पर बराबर रूप से लागू रहेगा।
2. समझौता निश्चित दिनांक से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष के लिए होगा। किसी असहमति की स्थिति में दोनों संस्था आपसी सहमति से इसे रद्द भी कर सकती हैं।

Principal
Dayanand College,
HISAR

Principal
Dayanand College
HISAR

दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व –

1. दोनों संस्थाएं अपनी नियमित गतिविधियों में शैक्षणिक व शोध के विषय दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे।
2. समझौते में दोनों वादी अपने साधन–संसाधन, पुस्तकालय तथा प्रदर्शनी एक–दूसरे के साथ सांझा करेंगे।
3. विद्यार्थियों को निर्देशन के लिए प्रशिक्षित स्टॉफ का दायित्व दोनों संस्थाएं समान रूप से वहन करेंगी।
4. शोध व प्रशिक्षण के उपरांत जो दस्तावेज तैयार होगा उसकी एक–एक प्रति दोनों संस्थाओं के पास जमा होगी।
5. शोध प्रशिक्षण में कार्यरत विद्यार्थियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) अपने शिक्षक के माध्यम से जमा करवाना होगा, जिस पर दोनों संस्थाओं के समन्वयक हस्ताक्षर करेंगे।
6. दोनों संस्थाएं मिलकर शोध के संभावित विषय, कार्यक्षेत्र व कार्यक्रम निर्धारण आपसी सहमति से करेंगे।

बौद्धिक सम्पदा –

आपसी सहमति से जो शोध सामने आयेगा वह दोनों की संयुक्त संपदा मानी जाएगी।

समझौते में संशोधन –

दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौते में संशोधन, परिवर्तन, आंशिक या मौलिक बदलाव कर सकेंगे।

समझौते की संस्तुति एवं सत्यापन –

~~समझौते की संस्तुति एवं सत्यापन आर्य समाज व संस्कृत~~ विभाग, दयानन्द महाविद्यालय, हिसार एवं दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार के बीच यह समझौता निम्नलिखित जिम्मेवार व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिनांक ...20/5/23....... को हुआ।

प्राचार्य
डॉ० विक्रमजीत सिंह
दयानन्द महाविद्यालय, हिसार

Principal
Dayanand College
HISAR

गवाह :

डॉ० मोनिका कक्कड़,
प्रभारी, आर्य समाज,
अध्यक्ष संस्कृत विभाग,
दयानन्द महाविद्यालय, हिसार

प्राचार्य
डॉ० प्रमोद योगार्थी
दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार

गवाह :

Principal
Dayanand College
HISAR